प्रेषक,

गरिमा यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग लखनऊ : दिनांक : 17 फरवरी, 2021

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में ई0सी0सी0ई0 अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले 03-06 आयु वर्ग के बच्चों हेतु प्री-स्कूल किट क्रय करने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1731/बा०वि०परि०/2020-21, दिनांक 21 जनवरी, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्री-स्कूल किट क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं-0102-समन्वित बाल विकास योजना के मानद मद 42-अन्य व्यय (के०-60/रा.40-के०+रा०) (गैर-वेतन) मद के अर्न्तगत कुल 1,70,869 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए रू0 2,250/- प्रति केन्द्र की दर से कुल रू0 38,44,55,000/- (रू0 अड़तीस करोड़ चौवालीस लाख पचपन हजार मात्र) के अनुमानित व्यय की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त क्रय भारत सरकार/ द्वारा निर्गत शर्तों एवं प्रतिबन्धों, दिशा-निर्देशों एवं स्पेसिफिकेशन इत्यादि तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार जेम पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। योजना हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों/गाइड लाइन का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृति के सापेक्ष नियमानुसार व्यय के आडिटेड लेखों के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण के साथ प्रतिपूर्ति के दावे समय से प्रस्तुत करते हुए भारत सरकार से नियमानुसार अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि समयबद्व रूप से प्राप्त की जायेगी।

(3) उक्त स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि तक ही सीमित रहेगी।

(4) योजना के अर्न्तगत निर्धारित प्रक्रियानुसार क्रय की गयी सामग्री की गुणवत्ता की पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त भलीभांति सत्यापित बिलों के सापेक्ष उक्त स्वीकृति की सीमा में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाय।

(5) यह सुनिश्चत किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(6) प्रश्नगत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(7) इस सम्बन्ध में निर्गत वित्तीय स्वीकृति में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन किया जायेगा।

(8) वस्तुओं/उपकरणों के क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आबंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किए गए व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94,दिनांक 06 जून,1994,कार्यालय ज्ञाप संख्या/2020/1-बी/149-1-दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1- 196/दस-2020-231/2020 ,दिनांक 11 अप्रैल ,2020, शासनादेश संख्या-6/2020/बी/218-1-दस-2020- 231/2020 ,दिनांक 18 मई, 2020 तथा शासनादेश संख्या-7/2020-बी-1-306/दस-2020- 231/2020, दिनांक 17 जून, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं-02 समन्वित बाल विकास योजना (के०-60/रा.40-के०+रा०) के मानद मद 42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-4-157/दस-2021, दिनांक 16 फरवरी, 2021 के द्वारा दी गयी सहमति के अर्न्तगत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गरिमा यादव)
विशेष सचिव।

संख्या-15/2021/268(1)/58-1-21-2/1(75)09 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-4/वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1
6- आहरण एवं वितरण अधिकारी,निदेशालय,बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,उ0प्र0।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in